ई-कामर्स कारोबारियों को भी समाधान का लाभ

कैबिनेट फैसला

01 फीसदी कुल कारोबार का देना होगा टैक्स, राज्य के बाहर कारोबार की सुविधा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने ई-कामर्स के गुड्स कारोबारियों को राहत देते हुए समाधान योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इसके एवज में कुल कारोबार का उन्हें एक फीसदी टैक्स देना होगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य के बाहर भी कारोबार की सुविधा होगी।

कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश-2023 को मंजूरी दी गई। अध्यादेश में ऐसे कारोबारियों को समाधान लेने का लाभ दे दिया गया है। समाधान का लाभ लेने वाले ई-कामर्स कारोबारियों को आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। इसके साथ की कम्पाउंडिंग व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया गया है। अभी तक कम्पाउंडिंग की न्यूनतम 30 हजार और अधिकतम 1.5 फीसदी देने की व्यवस्था थी।

नई व्यवस्था में न्यूतम टैक्स की सीमा 25 फीसदी और अधिकतम 100 फीसदी कर दिया गया है। इससे कम्पांडिंग का लाभ लेने वाले व्यापारियों को आधे फीसदी का फायदा होगा। जीएसटी से जुड़े वादों के निस्तारण के लिए राज्य ट्रिब्यूनल पीठ गठन का फैसला किया गया है।

जल निगम के 267 कर्मी निकायों में समायोजित

लखनऊ। राज्य सरकार जल निगम (नगरीय) की खराब माली हालत को देखते हुए फील्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 267 कर्मियों को निकायों के रिक्त पदों पर समायोजित करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके पहले 1238 कर्मियों को समायोजित किया जा चुका है। जल निगम (नगरीय) में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को नगर निगमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित करने का फैसला किया गया है।

रानीपुर टाइगर रिजर्व को निःशुल्क जमीन

केंद्र सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना लेने के बाद यूपी सरकार ने इसे विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत यहां पर्यटन गतिविधियों के लिए नि:शुल्क जमीन दी जाएगी। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है।

मां विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर को मंजूरी

मंगलवार को हुई कैबिनेट ने मां विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के सौन्दर्यीकरण परियोजना में जन सुविधाओं के निर्माण स्थल पर पड़ने वाली अतिरिक्त भूमि पर पूर्वनिर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।